क्रम संख्या–30

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 ई0

बैशाख 08, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या– 152/XXXVI (3)/2026/31 (1)/2026

देहरादून, 28 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026' पर दिनांक 27 अप्रैल, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 09 वर्ष, 2026 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 09, वर्ष 2026)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तहरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।
		(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 4 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (1) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

सहदेव सिंह,

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 4 में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष है।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने में कठिनाई हो रही है। इसको दृष्टिगत् रखते हुए अन्य आयोगों के साथ समता (Parity) एवं अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने हेतु कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष किया जाना है।

3. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

Scanned with OKEN Scanner

No. 152/XXXVI(3)/2026/31(1)/2026
Dated Dehradun, April 28, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Commission for Minorities (Amendment) Act, 2026' (Act No. 09 of 2026).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27 April, 2026.

THE UTTARAKHAND COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) ACT, 2026

[Uttarakhand Act No. 09 Of 2026]

AN
ACT

further to amend the Uttarakhand Commission for Minorities Act, 2002;

Be itenacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Commission for Minorities (Amendment) Act, 2026. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Section 4	2	In sub-section (1) of section 4 of the Uttarakhand Commission for Minorities Act, 2002, for the words "five years", the words "three years" shall be substituted.

By Order,

SAHDEV SINGH,
Principal Secretary.

Scanned with OKEN Scanner

Statement of Objectives and Reasons

In section 4 of the Uttarakhand Minorities Commission Act, 2002, the tenure of Chairman, Vice-Chairman and Members is five years.

2- The tenure of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the National Commission for Minorities, the Uttar Pradesh Commission for Minorities, the Uttarakhand Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission and the Uttarakhand Other Backward Classes Commission is three years. Additionally, due to the five year tenure of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Uttarakhand Commission for Minorities, it is becoming difficult to provide adequate representation to the minority community. Considering this, the tenure needs to be made three years to bring parity with other commissions and ensure adequate representation for the minority community.

3- The proposed Bill fulfills the above objectives.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13/विधायी/130-2020-100+500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)

Scanned with OKEN Scanner